

4. पात्रता Eligibility:

4.1 आवेदक पऊवि/उसकी संघटक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ होना चाहिए और आयु 65 (पैंसठ) वर्ष से कम होनी चाहिए। जो कर्मचारी 30.06.2024 तक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। Applicant should have retired on superannuation from Driver Cadre of DAE/ its Constituent Units and should be below the age of 65 (Sixty Five) years. Those who are retiring on superannuation w.e.f. 30.06.2024 are also eligible to apply.

4.2 आवेदक जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले विचाराधीन/लंबित हैं या जिन्हें पिछले 10 (दस) वर्षों की अवधि के दौरान कदाचार के लिए दंडित किया गया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applicant against whom departmental proceedings or criminal cases are contemplated/ pending or who have been penalized for misconduct during the period of preceding 10 (Ten) years will not be eligible for consideration.

4.3 आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और भारी मोटर वाहन (एचएमवी) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस पुनः नियोजन की पूरी अवधि के दौरान वैध होना चाहिए।

Applicant should possess a valid driving licence for Light Motor Vehicle (LMV) and Heavy Motor Vehicle (HMV) issued by the Competent Authority. Licence should be valid throughout the currency of re-engagement.

4.4 आवेदक ड्राइवर के कार्यों का निष्पादन करने के लिए स्वस्थ होना चाहिए और उसे पुनः नियोजन के समय इस आशय का शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अलावा, कार्यकाल के दौरान विभाग के विवेक पर आवधिक चिकित्सा जांच करवाई जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि पुनः नियोजित ड्राइवर, ड्राइवर के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अयोग्य है, तो उसका पुनः नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

Applicant should be medically fit to perform the duties of the Driver and is required to submit Medical Fitness Certificate to this effect, at the time of re-engagement. Further, Periodic medical check-ups during the tenure will be carried out at the discretion of the Department and in case, it is found that the re-engaged driver is unfit to perform the duties of the Driver, his re-engagement shall be terminated with immediate effect.

4.5 पुनः नियोजन की अवधि शुरुआत में, सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे विभाग के विवेक पर और संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकती है। पर्याप्त औचित्य होने पर, अधिवर्षिता की आयु के दो साल बाद, कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, यह समय विस्तार कार्यों की समीक्षा और पुनः नियोजित व्यक्ति के कार्य निष्पादन के आधार पर किया जा सकता है बशर्ते कि इसे अधिवर्षिता के बाद 05 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

The term of re-engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year at the discretion of the department and subject to satisfactory performance. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of the tasks and the performance of the re-engaged appointee, provided it shall not be extended beyond 05 years after superannuation.

4.6 पुनः नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा। पुनः नियोजन को भापअ केंद्र द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

The re-engagement shall be purely on contract basis. Re-engagement can be terminated at any time by BARC without assigning any reasons thereof.